

भारतीय चुनाव आयोग का इतिहास, कार्य एवं मुख्य शक्तियाँ

[S samanyagyan.com/hindi/gk-election-commission-of-india](http://samanyagyan.com/hindi/gk-election-commission-of-india)

भारतीय चुनाव आयोग का इतिहास, कार्य एवं मुख्य शक्तियाँ: (Election Commission of India History in Hindi)

भारत चुनाव/निर्वाचन आयोग

भारतीय चुनाव/निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधिक संस्थानों में जन प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। 'भारतीय चुनाव आयोग' की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत जैसे बड़े और भारी जनसंख्या वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। संसद के दोनों सदन-लोकसभा और राज्य सभा के लिए चुनाव बरोक-टोक और निष्पक्ष हों, इसके लिए एक स्वतंत्र चुनाव (निर्वाचन) आयोग बनाया गया है।

चुनाव आयोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी

स्थापना:	25 जनवरी 1950
अधिकार-क्षेत्र:	भारत सरकार
मुख्यालय:	नई दिल्ली
पहले मुख्य चुनाव आयुक्त:	सुकुमार सेन (21 मार्च 1950 – 19 दिसम्बर 1958)
वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त:	सुनील अरोड़ा (2 दिसम्बर 2018 – अक्टूबर 2021)

भारत निर्वाचन आयोग का इतिहास:

आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले पहल 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर, 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 तक यह आर. वी. एस. शास्त्री (मु.नि.आ.) और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगल सहित तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी, 1990 से 30 सितम्बर, 1993 तक यह एक एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर, 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।

मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यावधि:

चुनाव आयोग के **मुख्य चुनाव आयुक्त** का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले यह अवधि 65 साल तक होती थी। प्रोटोकाल में चुनाव आयुक्त/निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है।

निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्यप्रणाली:

- निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाये वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करता है।
- निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है।
- राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है।
- राजनैतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों-निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह देना।
- सांसद/विधायक की अयोग्यता (दल बदल को छोड़कर) पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देना।
- गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिये अयोग्य घोषित करना।

इन्हें भी पढ़ें: संघ लोक सेवा आयोग एवं उनके अध्यक्षों की सूची

निर्वाचन आयोग की मुख्य शक्तियाँ क्या होती हैं?

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियाँ केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती हैं निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति में देश में मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहाँ कहीं संसद विधि निर्वाचन के संबंध में मौन है वहाँ निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यद्यपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, निर्वाचन आयोग की मुख्य शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

- निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते हैं।
- निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक हैं न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती है।
- यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है।
- जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 14,15 भी राष्ट्रपति, राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते हैं।

भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये सुधार:

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन 1988 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित संशोधन किये हैं:-

- इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा. वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ
- राजनैतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा यदि वह चुनाव लड़ना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन करे तथा उनका समावेश अपने दलीय संविधान में करे
- मतदान केन्द्र पर कब्जा, जाली मत

You just read: Bhartiya Chunaav Aayog Ka Itihaas, Kaary Aur Mukhy Shaktiyon Ke Baare Mein Jaanakaaree